छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 146 प्रकरण क्रमांक–**SM-PRO-2023-02011**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''रवि मार्केटिंग'', ग्राम–सड्ढू, जिला–रायपुर (छ.ग.),

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/12/2023	– प्रकरण प्रस्तुत । – अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट ''रवि मार्केटिंग'' ग्रमा–सड्ढू, जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें संबंधित प्रोजेक्ट अथवा रियल एस्टेट एजेंट का छ.ग. रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर उल्लेखित नहीं है। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 (1) के प्रावधान अनुसार रेरा में पंजीयन के बिना किसी भी भूखण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति से विज्ञापित, विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा किराये के लिये व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। – अतः प्राधिकरण ने अनावेदक द्वारा प्रमोटर के दायित्वों का अधिनियम अनुसार निर्वहन नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा–59 अंतर्गत दिनाँक 08.11.2023 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया। – अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि उक्त भूमि किसी स्वीकृत अभिन्यास का भाग नहीं है। उक्त उल्लेखित रकबा की भूमि किसी आवासीय परियोजना में शामिल नहीं है। उक्त ज्ञापन के अंतर्गत ब्रोकर्स को आमंत्रित किया गया है। उक्त प्रकाशन के अंतर्गत विक्रय का प्रस्ताव नहीं है। मात्र उपलब्धता को इंगित कर ब्रोकर्स को आमंत्रित किया गया है। उक्त रकबा की भूमि भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत अभिन्यास या परियोजना नहीं है। इसलिये किसी प्रकार की विपरीत कार्यवाही नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 146 प्रकरण क्रमांक–**SM-PRO-2023-02011**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''रवि मार्केटिंग'', ग्राम–सड्ढू, जिला–रायपुर (छ.ग.),

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– प्राधिकरण द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा उक्त ज्ञापन के अंतर्गत ब्रोकर्स को आमंत्रित किया गया है। उक्त प्रकाशन के अंतर्गत विक्रय का प्रस्ताव नहीं होने का लेख किया गया है। मात्र उपलब्धता को इंगित कर ब्रोकर्स को आमंत्रित किया गया है। प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण अंग है। अतः प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) **सदस्य** सही/– (संजय शुक्ला) **अध्यक्ष**	